

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, खालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 142 / 111 / 14
स्थान तथा
दिनांक

कायवाही तथा आदेश

जिला छतरपुर
पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

6.5.12

यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-11-13 के विरुद्ध मोप्र० भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि. 30-11-13 का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-11-13 के अवलोकन से पाया गया कि अपर कलेक्टर का संहिता की धारा 165 के अंतर्गत आदेश मूल न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में ऐसे आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को एंव द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में होगी।

4/ उक्त कारणों से आवेदक को आयुक्त/अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील का उपचार प्राप्त होने के कारण निगरानी अग्राह्य होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती हैं पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।


सदरख


13/5/14

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100